Dr.Raman Kumar Thakur

Assistant prof.(Guest)Department of Economics.D.B.College, jaynagar.Madhubani.

Class:-B.A.part-2(Hons.)Date:-23-09-2020. Lecture n.-25.

Topic:-भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य(meaning and objectives of Land Reforms):- अर्थशास्त्री भूमि सुधार शब्द का उपयोग दो अर्थों में करते हैं 1).संकुचित अर्थ और 2)व्यापक अर्थ में .

संकुचित अर्थों में, भूमि सुधार शब्द का प्रयोग उन सब सुधारों के लिए किया जाता है जिनका संबंध भूमि स्वामित्व तथा भूमि जोत दोनों से होने वाले सुधारों से हैं। तथा दूसरे विस्तृत अर्थों में भूमि सुधार शब्द का प्रयोग भूमि व्यवस्था संबंधी उन सुधारों के लिए किया जाता है जिनके फलस्वरूप कृषि की उत्पादकता बढ़ती है, जैसे-साख , विपणन, मध्यस्थों की समाप्ति लागत संबंधी सुधार आदि।

संक्षेप में भूमि सुधारों का आशय भूमि के स्वामित्व कास्त तथा प्रबंध से संबंधित नीतियों में किए गए सभी प्रकार के परिवर्तनों से हैं।

⁕ भूमि सुधार के उद्देश्य(Objectives of Land Reforms) :- भूमि सुधार निम्न उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है जो इस प्रकार से हैं-

1) कृषि उत्पादन में वृद्धि(Increase in Agricultural production):-भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि में निहित बाधाओं को दूर करना है

2) सामाजिक न्याय(Social justice):-भूमि सुधार का दूसरा उद्देश्य कृषि पद्धति में विद्यमान शोषण तथा सामाजिक अन्याय के सभी तत्वों को समाप्त करना हैं ,ताकि किसान को सुरक्षा प्राप्त हो सके।

3) राजनीतिक उद्देश्य (Political objectives) भूमि सुधार का तृतीय उद्देश्य राजनीतिक है जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनसमूह को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है और कार्य रूप में परिणत की जाती है।

⁕ भारत में भूमि सुधार नीतियों को मुख्यत: दो भागों में बांटा जा सकता है-1). स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भूमि सुधार नीति तथा 2).स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार नीति ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में मुख्यतया तीन प्रकार की भूमि व्यवस्था पाई जाती थी जो इस प्रकार से देखे जा सकते हैं:-

1) जमीनदारी व्यवस्था(Zamindari System):- इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व कुछ ही हाथों में होता था जिन्हें जमींदार कहा जाता था। इस व्यवस्था में किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेते थे और बदले में वे जमींदार को लगान के रूप में उत्पादन का हिस्सा देते थे। जमींदार इसमें से कुछ भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देते थे तथा बाकी अपने पास रखते थे। अतः जमींदार सरकार और किसान के बीच बिचौलियों का काम करते थे।

2) महलवारी व्यवस्था(Mahalwari System):- इस व्यवस्था में सरकार द्वारा पूरे वर्ष के लिए एक निश्चित राशि मालगुजारी के रूप में निश्चित कर दी जाती थी जिसको भुगतान करने का दायित्व ग्राम समुदाय का होता था अर्थात इस व्यवस्था में भूमि पर सारे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था तथा जमीन गांव के सभी लोगों में बांट दी जाती थी और वह उस पर खेती करते थे।

3) रैयतवारी व्यवस्था(Rayatwari System):- इस व्यवस्था में खेती करने वाला किसान स्वयं सरकार को मालगुजारी देता था

जब तक वह नियमित रूप से मालगुजारी देता रहता था तब तब उसे बेदखल नहीं किया जाता था उसे भूमि बेचने का भी अधिकार होता था।

* भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों के लिए उठाए गए कदम(Steps taken for Land Reforms in india):- भारत में भूमि सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनमें निम्न प्रमुख हैं-

1) मध्यस्थों या जमींदारों का उन्मूलन,

2) काश्तकारी व्यवस्था में सुधार.

3) जोतों की सीमा का निर्धारण.

4) सहकारी कृषि.

5) भूदान.

1) मध्यस्थों या जमींदारों का उन्मूलन:- भूमि सुधार प्रयत्नों में सबसे पहला प्रयत्न मध्यस्थों व जमींदारों की समाप्ति के लिए किया गया. स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 40% जमीन इस व्यवस्था के अंतर्गत थी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक राज्य में जमीदारी उन्मूलन के लिए राज्य स्तर पर कानून पास किए

गए सन् 1954 तक देश के सभी राज्यों ने जमीदारी उन्मूलन संबंधी कानून बना लिए थे जमींदारों के उन्मूलन के फल स्वरुप 2 करोड़ से अधिक किसानों को सरकार से सीधा संबंध स्थापित हुआ। कृषि योग बंजर भूमि का बड़ा भाग जो पहले बिचौलियों के अधीन था,राज्य सरकारों द्वारा ले लिया गया है और उसे भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया है।

* जमीदारी उन्मूलन के प्रभाव- 1)शोषण का अंत 2)उत्पादन में वृद्धि3) सरकारी आय में वृद्धि4) सामंतवाद का अंत 5) कृषकों का सरकार से सीधा संबंध 6भूमिहीन किसानों को भूमि.

2). काश्तकारी व्यवस्था में सुधार जब कृषि भूमि पर उसका स्वामी खुद खेती नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्ति को लाकर लगान पर जोतने के लिए दे देता है तो उस व्यक्ति को काश्तकार कहते हैं तथा इस प्रथा को काश्तकारी प्रथा कहते हैं भारत में कष्टकारी प्रथा काफी समय से पाई जाती रही है उसमें सुधार करने के लिए स्वतंत्रता के बाद विशेष कानून पास किए गए हैं जिन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:- 1)लगान का नियमन.

2) भू- धारक की सुरक्षा या पट्टे की सुरक्षा.

3) काश्तकारों का भूमि के स्वामी बनने का अधिकार.

3). जोतों की सीमा निर्धारण :- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जूतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है इसके दो उद्देश्य थे प्रथम ज्योत की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना जिससे भूमि का केंद्रीकरण रोका जा सके दितीय इस अधिकतम सीमा से अधिक भूमि रखने वाले भू स्वामियों से सीमा से अधिक भूमि लेकर छोटे किस्सा को एवं भूमिहीन किसानों में उसका वितरण करना जिससे उन्हें सामाजिक न्याय मिल सके।

जोतों की सीमा निर्धारण की आवश्यकता:- * रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना * कृषि आय आसामानताओ में कमी लाना. भूमि कि सीमितत्ता के कारण भूमि पर उचित संतुलन स्थापित करना।

4). जोतों की चकबंदी:- खेतों की चकबंदी से हमारा अभिप्राय खेतों के उस पुनर संगठन से है जिसमें भूमि के बहुत छोटे-छोटे अथवा बिखरे हुए टुकड़ों को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सके स्क्रिप्टलैंड के अनुसार " चकबंदी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वामित्वधारी काश्तकारों को इस बात के लिए मनाया अथवा वाधय किया जाता है कि वह इधर-उधर बिखरे हुए टुकड़ों

को त्याग कर उनके बदले में उसी किस्म के उतने ही आकार के एक या दो खेत ले ले"।

चकबंदी दो प्रकार से की जाती है-1) ऐच्छिक चकबंदी- यह कृषकों की परस्पर सहमति से की जाती है। इसकी शुरुआत सहकारी समितियों द्वारा 1921 में पंजाब में की गई , लेकिन इसमें वांछनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई।

2) अनिवार्य चकबंदी:- कानून द्वारा जब चकबंदी अनिवार्य रूप में की जाती है तो उसे अनिवार्य चकबंदी कहते हैं।

* चकबंदी के गुण शाही कृषि कमीशन के शब्दों में "भारतीय कृषक को को भूमि के उप विभाजन और अप खंडन की समस्या से छुटकारा दिलाने का एकमात्र साधन चकबंदी ही है".

1). वैज्ञानिक कृषि।

2) भूमि अपव्यय की बचत।

3) भूमि की उचित व्यवस्था.

4) पारस्परिक विवादों में कमी.

5) रहन-सहन में सुधार 6)पूंजीगत उपकरणों का पूर्ण उपयोग.

7) श्रम एवं अन्य साधनों की बचत.

* जोतों की चकबंदी में कठिनाइयां:- भारत में भूमि की चकबंदी के कार्य में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है:-

1) भूमि का मूल्यांकन .

2)भूमि अधिकार संबंधी दोष युक्त अभिलेख .

3)प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव.

4)किसानों की निरक्षरता व अज्ञानता.

5) वित्त का अभाव.

* चकबंदी की सफलता के लिए सुझाव:- भारत में चकबंदी की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं:-

1)चकबंदी को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए .

2)चकबंदी का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक गांव की समस्त भूमि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए.

3) एक समान उपजाऊ तथा सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्रों में चकबंदी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए जिससे चकबंदी के

लाभ शीघ्र दृष्टिगोचर होने लगे .4)जोतों के न्यूनतम आकार के कम हो जाने पर उसके पुनः उप विभाजन तथा विखंडन पर कानूनी रोक लगाई जाए तभी चकबंदी के लाभों में स्थायित्व संभव होगा.

5)प्रत्येक राज्य में चकबंदी कार्यक्रम एक सीमित क्षेत्र में किया जाना चाहिए ताकि चकबंदी अधिकारियों को अनुभव प्राप्त हो सके, और उसके आधार पर राज्य के अन्य क्षेत्रों में चकबंदी कार्यक्रमों का प्रसार किया जाना चाहिए ।